

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100620

दिनांक: 17/04/2026

लोक सूचना

श्री AXIS ROYAL REAL ESTATE DEVELOPERS PVT LTD TH AUTH TARUN GOEL AND SHASHIKANT SHARMA पुत्र श्री SHRI TARA CHAND GOEL AND LATE SHRI KAILASH CHAND SHARMA जाति HINDU निवासी G 2-3 VINOBA MARG C-SCHEME JAIPUR

श्री AXIS ROYAL REAL ESTATE DEVELOPERS LLP TH AUTH TARUN GOEL AND SHASHIKANT SHARMA पुत्र श्री SHRI TARA CHAND GOEL AND LATE SHRI KAILASH CHAND SHARMA जाति HINDU निवासी G 2-3 VINOBA MARG C-SCHEME, JAIPUR

श्री RR BUILDCON LLP TH AUTH TARUN GOEL AND SASHIKANT SHARMA पुत्र श्री SHRI TARA CHAND GOEL AND LATE SHRI KAILASH CHAND SHARMA जाति HINDU निवासी G 2-3 VINOBA MARG C-SCHEME, JAIPUR

श्री MODERN LIVING TH PARTNER TARUN GOEL पुत्र श्री SHRI TARA CHAND GOEL जाति HINDU निवासी G 2-3 VINOBA MARG C-SCHEME JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	विमलपुरा, साँगानेर (जयपुर)	4.) मैसर्स मॉडर्न लिविंग हिस्सा 1 / 8 जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न 9 शुभम एन्क्लेव जमनालाल बजाज मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार 1.) आर. आर. बिल्डकॉन एल एल पी . B 39 सेठी कॉलोनी हिस्सा 1 / 4 जाति (NA) जयपुर खातेदार 3.) मैसर्स एक्सिस रॉयल रीयल एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. रजि. ऑफिस 111 हॉस्पिटल रोड सी स्कीम हिस्सा 1 / 2 जाति (NA) जयपुर खातेदार 2.) मैसर्स	397	0.22	0.1676

		एक्सिस रॉयल रीयल एस्टेट डवलपर्स एल एल पी हिस्सा 1 / 8 जाति (NA) . खातेदार				
					कुल	0.1676

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17-04-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SAMACHAR JAGAT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

